संख्या-117/2016/306/22-2-2016-17(59)/2005

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी अनुपम प्रकाश पुत्र श्री राम प्रकाश, निवासी जनपद-मेरठ वर्तमान लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/प्र-3/(एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी अनुपम प्रकाश पुत्र श्री राम प्रकाश, 145, न्यू मोहनपुरी, थाना-सिविल लाइन, जनपद-मेरठ हालपता-5/36, विशाल खण्ड, थाना-गोमती नगर, जिला-लखनऊ का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 11-10-1988 पी0डब्लू0डी0 विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता के घर में घुस कर उनकी पत्नी पुत्र एवं भतीजी सरिता व अनीता को लोहे की राड व चाकुओं से मारकर घायल किया जिनमें से 03 की मृत्यु हो गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-222/1992 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,344,307 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 21-08-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 23 वर्ष 11 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 11 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या अंकित किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 11-10-1988 पी0डब्लू0डी0 विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता के घर में घुस कर उनकी पत्नी पुत्र एवं भतीजी सरिता व अनीता को लोहे की राड व चाकुओं से मारकर घायल किया जिनमें से 03 की मृत्यु हो गयी है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनुपम प्रकाश पुत्र श्री राम प्रकाश, निवासी जनपद-मेरठ वर्तमान लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अनुपम प्रकाश (बन्दी संख्या-12019) पुत्र श्री राम प्रकाश, निवासी जनपद-मेरठ वर्तमान लखनऊ के फार्म-ए पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-117/2016/306(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-117/2016/306/22-2-2016-17(59)/2005

दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध अनुपम प्रकाश (बन्दी संख्या-12019) पुत्र श्री राम प्रकाश, नि0-145, न्यू मोहनपुरी, थाना-सिविल लाइन, जिला-मेरठ हालपता-5/36, विशाल खण्ड, थाना-गोमती नगर, जिला-लखनऊ का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 11-10-1988 पी0डब्लू0डी0 विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता के घर में घुस कर उनकी पत्नी पुत्र एवं भतीजी सरिता व अनीता को लोहे की राड व चाकुओं से मारकर घायल किया जिनमें से 03 की मृत्यु हो गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-222/1992 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,344,307 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 21-08-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 23 वर्ष 11 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 11 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 11-10-1988 पी0डब्लू0डी0 विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता के घर में घुस कर उनकी पत्नी पुत्र एवं भतीजी सरिता व अनीता को लोहे की राड व चाकुओं से मारकर घायल किया जिनमें से 03 की मृत्यु हो गयी है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनुपम प्रकाश पुत्र श्री राम प्रकाश, निवासी जनपद-मेरठ वर्तमान लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in